न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 42/2024(GCMS 2024/163)
(आरटीआई संख्या 21228629786 1236)

श्री कृष्ण कुक्कड़, निवासी 1/103 हाउसिंग बोर्ड, श्रीगंगानगर (मोबाईल नं. 93527–49963)

<u>बनाम</u>

उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>24.02.2025</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री कृष्ण कुक्कड़ आज स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 30.06.2024 से छः बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में गलत एवं झूठी सूचना उपलब्ध करवाई है, इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री कृष्ण कुक्कड़ ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 30.06.2024 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न **छः बिन्दुओं की सूचना चाही थी :**

1. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार के जरिए चक3 ए छोटी के खाता संख्या 122/45 मुरबा नम्बर 18 के किला नम्बर 2/1 की 0.017 हैक्टेयर, किला नम्बर 9/1 की 0.1472 कुल 0.202, 12 की 0.253, 13 की 0.254, किला नम्बर 14 की 0.254, किला नम्बर 15 [illegible] 53 और किला नम्बर 16/1 की 0.139 कुल 1.370 हैक्टेयर [illegible] भूमि का गैर कानूनी तौर पर अकृषि [illegible] तहसीलदार, श्रीगंगानगर द्वारा राज[illegible] धारा 177 आरटीए एक्ट के तहत [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:44:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष पेश राजस्व वाद संख्या 199/2022 तहसीलदार द्वारा पेश शपथ पत्र, पटवारी हल्का व गिरदावर द्वारा मौका की जांच करके पेश रिपोर्ट की सत्यप्रतियां दी जावे,

2. दिनांक 27 फरवरी 2024 को संजय कुमार उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर का सहायक कलक्टर, बीकानेर के पद पर स्थानान्तरण होने के बाद सरकार बनाम सुदेश कुमार अनुवारी राजस्व वाद संख्या 199/2022 में दिनांक 06.03.2004 को राज्य सरकार के खिलाफ पारित निर्णय की सत्य प्रति दी जावे,
3. उक्त राजस्व वाद संख्या 199/2022 में पत्रावली पेशी में लिये जाने राज्य सरकार द्वारा दायर राजस्व वाद खारिज करने बाबत प्रतिवादीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र की सत्यप्रतियां दी जावे,
4. उक्त राजस्व वाद संख्या 199/2022 में राज पैरोकार द्वारा उपखण्ड अधिकारी के समक्ष पेश रिपोर्ट की सत्यप्रति दी जावे,
5. उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 06.03.2024 को राजस्थान सरकार के खिलाफ निर्णित राजस्व वाद संख्या 199/2022 की पालना में प्रतिवादी द्वारा वाद ग्रस्त कृषि भूमि अकृषि प्रयोजनार्थ 90 दिन में संपरिवर्तन करवाकर उप खण्ड अधिकारी के समक्ष पेश तमाम दस्तावेज की सत्यप्रतियां दी जावे
6. प्रतिवादी द्वारा 90 दिन में अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवा कर दस्तावेज पेश नहीं करने पर तहसीलदार, श्रीगंगानगर द्वारा राजस्व वाद रेस्टोर करने बाबत पेश प्रार्थना पत्र की सत्यप्रति दी जावे।

उपखण्ड अधिकारी ने अपने पत्र संख्या /2024/45 दिनांक 29.08.2024 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:44:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संबंध में निवेदन है कि परिवादी द्वारा धारा 18(1), सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत श्रीमानजी के न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया है। परिवाद के संबंध में प्रतिउत्तर निम्नानुसार है।

क्रमांक	परिवाद	प्रतिउत्तर
1	तहसीलदार, श्रीगंगानगर द्वारा राज्य हित में धारा 177 आरएटीए के तहत दायर प्रकरण संख्या 199/2022 सरकार बनाम अर्पित (निर्णय दिनांक 05 मार्च 2024) मे वाद दर्ज रजिस्टर करने के बाद और 05 मार्च 2024 को उपखण्ड अधिकारी द्वारा निर्णय करने से पहले धारा 177(3) आरटीए के आज्ञापक प्रावधानुसार प्रतिवादी अर्पित को हाजिर होने के लिए तहसीलदार को तामील कराने बाबत जारी किए नोटिस एवं तहसीलदार द्वारा प्रतिवादी अर्पित को नोटिस तामील करवा कर तामील कुनिन्दा द्वारा जारी नोटिस तामिल करवाने की रिपोर्ट सहित उपखण्ड अधिकारी को वापिस लौटाए गए नोटिस की सत्यप्रतियां दी जावे।	बिन्दु संख्या 1 में चाही गई सूचना में प्रतिवादी अर्पित को जारी किए गये नोटिस बाद या अदम तामील प्राप्त नहीं होने पर सूचना दिया जाना संभव नहीं है।
2	प्रतिवादी अर्पित द्वारा पैरवी करने के लिए नियुक्त वकली द्वारा पेश वकलतनामें एवं दिनांक 05 मार्च 2024 को प्रतिवादी अर्पित की आरे से पत्रावली पेशी में लेने बाबत पेश प्रार्थना पत्र की सत्यप्रति दी जावे।	बिन्दु संख्या 2 में चाही गई सूचना में अनवानी राजस्व वाद संख्या 199/2022 सरकार बनाम अर्पित निर्णय दिनांक 05.03.2024 में नियुक्त अपील द्वारा ..... की ओर से पत्रावली पेशी में लेने बाबत पेश प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रति आपको भिजवाई जा रही है।
3	राजपैरोकार द्वारा उपखण्ड अधिकारी अर्पित में पेश रिपोर्ट की सत्यप्रति दी जावे।	बिन्दु संख्या 3 में चाही गई सूचना राज पैरोकार द्वारा उपखण्ड अधिकारी, के समक्ष पेश रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति आपको भिजवाई जा रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:44:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

4	प्रकरण संख्या 199/2022 सरकार बनाम अर्पित में दिनांक 05 मार्च 2024 को पारित निर्णय में नियत अवधि 90 दिवस/04 जून 2024 की अवधि में प्रतिवादी अर्पित द्वारा विवादित आराजी का अकृषि कार्य प्रयोजनार्थ सपरिवर्तन करवा कर दस्तावेज पेश नहीं करने पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण रिस्टोर करने बाबत पेश प्रार्थना पत्र की सत्यप्रति दी जावे	बिन्दु संख्या 4 में चाही गई सूचना में प्रतिवादी अर्पित द्वारा विवादित आराजी का अकृषि कार्य प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवा कर दस्तावेज पेश नही करने एवं तहसीलदार, श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण पुनः रिस्टोर करने बाबत प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने के कारण सूचना दिया जाना संभव नहीं है।
5	तहसीलदार द्वारा प्रकरण संख्या 199/2022 अनवान सरकार बनाम अर्पित रेस्टोर कराने बाबत पेश प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी द्वारा विवादित कृषि भूमि राजसात करने बाबत पारित विधि सम्मत आदेश की सत्यप्रति दी जावे।	बिन्दु संख्या 05 में चाही गई सूचना में राजस्व वाद संख्या 199/2022 अनवान सरकार बनाम अर्पित निर्णय दिनांक 05.03.2024 में तहसीलदार, श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण के पुनः रिस्टोर करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर वाद ग्रस्त कृषि भूमि के बाबत किसी प्रकार का आदेश नहीं होने के कारण सूचना दिया जाना संभव नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी को उक्तानुसार सूचना उपलब्ध करवाई है जबकि अपीलार्थी ने दिनांक 29.01.2025 को शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि मिकर ने राज्य हित में राजस्व वाद संख्या 199/2022 का दिनांक 05.03.2023 को **निर्णय पारित करने से पूर्व राज पैरौकार द्वारा पेश रिपोर्ट** और **प्रतिवादीगण को जारी नोटिस की सत्यप्रतियों की मांग की लेकिन उत्तरदाता ने जानबूझकर वांछित सूचना नहीं दी।**

मुख्य सूचना आयुक्त, राजस्थान सूचना आयोग जयपुर ने अपील संख्या 2094/2009 अनवान श्रीमती सन्[illegible] नाम अतिरिक्त निबन्धक में पारित निर्णय दिनांक 08.01.2010 के पैरा संख्या 08 में [illegible] प्रकार उल्लेख किया है :

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:44:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

8. अपीलार्थिया के ने प्रदत्त छाया प्रतियों की प्राप्ति पर असन्तोष व्यक्त किया – प्रथमतः इसलिए कि प्रदत्त सूचना अस्त व्यवस्त रूप में बिना क्रमांक आदि के था और पत्रावली के कतिपय पत्रों आदि में किसने और क्यों भेजा स्पष्ट नहीं हैं अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार राज्य लोक सूचना अधिकारी वही सूचना उपलब्ध करा सकता है जो जिस रूप में अभिलेखों में उपलब्ध है। वह उन पर अपनी टिप्पणी अथवा मत व्यक्त नहीं कर सकता और न ही किसी प्रकार का परिवर्तन अथवा संशोधन कर सकता है। इस संदर्भ में अधिनियम 2005 की धारा 2 की उप धारा (j) का उल्लेख समीचीन है जिसमें लिख है कि :–

सूचना का अधिकार से इस अधिनियम के अधीन पहुंच योग्य सूचना का, जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है, अधिकार अभिप्रेत है और जिसमें निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित हैः –

(i) कृति, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण

(ii) दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पण, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि देना,

(iii) सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना,

(iv) डिस्केट, फ्लापी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलैक्ट्रोनिक रीति में या प्रिंटआउट के माध्यम से सूचना को, जहां ऐसी सूचना किसी कम्प्यूटर या किसी अन्य युक्ति में भण्डारित है, अभिप्राप्त करना,

इसलिए यदि पत्रावली पर क्रमांक [illegible] और कतिपय पत्रों पर कोई अन्यथा उललेख नहीं है तो **अपीलार्थि[illegible] को पत्रादि दिये गये उन पर आक्षेप नहीं किया जा सकता।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:44:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

माननीय राजस्थान सूचना आयोग के उक्त निर्णय एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) एवं के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने उक्त पत्रांक 12 दिनांक 29.08.2024 से **पांच बिन्दुओं की सूचना उपलब्ध करवाई है। जबकि अपीलार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 30.06.2024 में छः बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी।** सूचना का अधिकार **अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी,** श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी उनके [illegible] में उपलब्ध रिकार्ड का निरीक्षण करना चाहे तो उन्हें कार्यालय [illegible] करवा देवें तथा उपलब्ध रिकार्ड में से अपीलार्थी द्वारा वांछित [illegible] 6 की सूचना उन्हें पुनः उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:44:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर की मूल पत्रावली संख्या 199/2022 का भी अवलोकन किया गया तो पाया कि तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर द्वारा अन्तर्गत धारा 177 आरटीए का प्रकरण पेश किया गया था जिसमें उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा राज्य सरकार के विरूद्ध निर्णय पारित किया जाना प्रतीत होता है। जिस पर उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा कोई विधिक राय प्राप्त की गई हो, ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नही है। इसलिए **उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त पत्रावली संख्या 199/2022 में पारित निर्णय दिनांक 05.03.2024 पर विधिक राय प्राप्त कर, विधि अनुसार आगामी कार्यवाही करें। साथ ही तहसीलदार, श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में आराजी का संपरिवर्तन नहीं होने की स्थिति में उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 05.03.2024 की पालना में प्रकरण को रि–स्टोर करने की कार्यवाही नही की हो तो, शीघ्र कार्यवाही करें। उक्त समस्त कार्यवाही को सूचना का अधिकारी अधिनियम की उक्त अपील से अलग रखा जावे।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति मय मूल रिकॉर्ड **उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति तहसीलदार, श्रीगंगानगर** को भी पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 24.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:44:06 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर